झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः–3/पी॰एम॰सी॰/(कार्य)/82/2013......................................./राँची, दिनांकः ....

प्रेषकः

ई॰ मुक्तिसाधन चौरसिया
उप सचिव (अभि॰)

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखंड, हिनू, राँची

द्वाराः **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग।**

विषयः–यॉंत्रिक प्रमण्डल मंडल, शिविर–मेदिनीनगर अन्तर्गत जिंजोई वीयर योजना एवं हरही वीयर योजना के अन्तर्गत C/R, H/R गेटों एवं उत्तोलन प्रणाली इत्यादि के जीर्णोद्धार कार्य हेतु ₹58,04,600.00/- (रूपये अट्ठावन लाख चार हजार छः सौ) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश–स्वीकृत।

1. पलामू जिला अन्तर्गत यॉंत्रिक प्रमण्डल, मंडल शिविर–मेदिनीनगर के क्षेत्राधीन जिंजोई वीयर योजना एवं हरही वीयर योजना के गेटों के निर्माण एवं अधिष्ठापन कार्यो के लिए **₹58,04,600.00/- (रूपये अट्ठावन लाख चार हजार छः सौ)** मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है :–

i.	जिंजोई वीयर योजना के दो अद्द C/R गेटो एवं इनके उत्तोलन प्रणाली का जीर्णोद्वार कार्य। -	रू० 30,25,000.00
ii.	हरही वीयर योजना के एक अदद H/R गेट एवं दो अदद C/R गेटों तथा उत्तोलन प्रणाली एवं तत्संबंधी यॉंत्रिक एवं असैनिक कार्यो का जीर्णोद्वार कार्य। -	रू० 27,79,600.00
	प्रशासनिक स्वीकृति हेतु राशि का योगः–	**₹58,04,600.00**

2. इस कार्य के लिए कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक) यॉंत्रिक प्रमंडल मंडल, शिविर–मेदिनीनगर निकासी एंव व्ययन पदाधिकारी होगें तथा मुख्य अभियंता (यांत्रिक), जल संसाधन विभाग, राँची नियंत्री पदाधिकारी होगे।

3. **इस कार्य पर होने वाला व्यय :–**

   i. मुख्य शीर्ष 4701– मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय–उपमुख्य शीर्ष–80–सामान्य लघुशीर्ष–789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–उपशीर्ष–46–सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन, विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–43–अनुरक्षण मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री)

   ii. मुख्य शीर्ष 4701– मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय–उपमुख्य शीर्ष–80–सामान्य लघुशीर्ष–796–जन जातिय क्षेत्रीय उपयोजना–उपशीर्ष–46–सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन–विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–43–अनुरक्षण मरम्मति एवं सुसज्जीरकण (सामग्री)

   iii. मुख्य शीर्ष 4701– मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय–उपमुख्य शीर्ष–80–सामान्य लघुशीर्ष–800–अन्य व्यय–उपशीर्ष–46–सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन–विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–43–अनुरक्षण मरम्मति एवं सुसज्जीरकण (सामग्री)

के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

4. इस कार्य का समावेश वर्ष 2015–16, के सी०ओ०बी०टी० में समेकित रूप में है।

5. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम '300 का अनुपालन दृढता से किया जायेगा।

6. राशि की निकासी लातेहार कोषागार से की जायेगी।

7. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।

8. इस कार्य को वित्तीय वर्ष 2015–16, में प्रारंभ कर इसी वर्ष पूर्ण कर लिया जायेगा।

9. विगत तीन वर्षों में इन योजनाओं में वर्ष 2013–14 में जिंजोई वीयर योजना में गेटों तथा C/R के Hoisting arrangement कार्य में मात्र रू० 8.79064 लाख एवं वर्ष 2014–15 में रू० 5.61653 लाख का व्यय हुआ है।

10. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

11. प्रावधानित लौह सामग्रियों में से निकलने वाले लौह सामग्रियों का 40% राशि संवेदक के विपत्र से कटौती कर सरकारी राजस्व में जमा करना होगा।

12. इसके कार्यान्वयन के पूर्व पुर्नस्थापन कार्य के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निदेश का अनुपालन सक्षम तकनीकी पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

13. इस कार्य की फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी, कार्य के प्रारम्भ, कार्य के दौरान एवं कार्य के पूर्ण होने पर करा लिया जायेगा।

14. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

15. प्रस्ताव पर विभागीय प्रधान सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

16. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखंड, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(मुक्ति साधन चौरसिया)

उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः–3/पी०एम०सी०/(कार्य)/82/2013................................../राँची, दिनांकः ....

प्रतिलिपिः आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखंड को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखंड, राँची को संसूचनार्थ/योजना–सह–वित्त विभाग (योजना प्रभाग), झारखंड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

ह०/–

(मुक्ति साधन चौरसिया)

उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः–3/पी०एम०सी०/(कार्य)/82/2013................................../राँची, दिनांकः ....

प्रतिलिपिः कोषागार, पदाधिकारी; लातेहार, पलामू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित्।

ह०/–

(मुक्ति साधन चौरसिया)

उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः–3/पी०एम०सी०/(कार्य)/82/2013................................../राँची, दिनांकः ....

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/संयुक्त सचिव (अभि०) जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता (यॉंत्रिक) जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/ /अधीक्षण अभियंता (यॉंत्रिक) सिंचाई यॉंत्रिक अंचल, राँची/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल मंडल शिविर–मेदिनीनगर/कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, मेदिनीनगर/अधीक्षण अभियंता योजना, मोनिटरिंग एंव आयोजन अंचल–1/2/3 राँची एवं प्रशाखा पदाधिकारी–7 जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

ह०/–

(मुक्ति साधन चौरसिया)

उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः—3 / पी॰एम॰सी॰ / (कार्य) / 82 / 2013....................................... / राँची, दिनांकः ....

प्रतिलिपिः आयुक्त, पलामू को सूचनार्थ प्रेषित् करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्र्तगत माननीय सांसद एवं विधायक को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह० / —

(मुक्ति साधन चौरसिया)

उप सचिव (अभि॰)

पत्रांकः—3 / पी॰एम॰सी॰ / (कार्य) / 82 / 2013 37/15-16 प्र॰स्थी॰ / राँची, दिनांकः 01.12.2015

प्रतिलिपिः वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

1/12/15

(मुक्ति साधन चौरसिया)

उप सचिव (अभि॰)

30/11/15